

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्र.क.: 522 / 2014

संस्थित दि: 16 / 06 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

विरुद्ध

अता उल्ला पिता नादिर मिया, उम्र 22 साल, जाति मुसलमान,
निवासी नारवाजपार थाना वारासिवनी हाल मुकाम परसवाड़ा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

— :: उपापण — आदेश :: —

(आज दिनांक 25 / 08 / 2014 को उपापित किया गया)

(01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उपापण पर विचार किया जा रहा है ।

(02) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है ।

(03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी प्रकाश टेम्भरे ने दिनांक 19.04.2014 को आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम टेमा में रहता है तथा किराना दुकान चलाता है। दिनांक 19.04.2014 को दोपहर 10:00 बजे उसकी दुकान बंद थी तो वह जयचंद पटले के दुकान में बैठा था कि उसी समय जयचंद के दुकान के सामने रोड पर चिल्लाने की आवाज आई तो वह और जयचंद पटले दोनों दुकान के बाहर निकल कर रोड पर देखे तो अता उल्ला खान साकिन परसवाड़ा सुरेश शरणागत को लकड़ी से मार रहा था। सुरेश शरणागत खून से लतपत होकर रोड पर गिर गया था। घटना शारदाबाई, ममताबाई, दलपत ने देखी थी। फिर उन्होंने 108 एम्बूलेंस को सूचना दी तो एम्बूलेंस टेमा आई और सुरेश शरणागत को एम्बूलेंस से लेकर परसवाड़ा अस्पताल गई तो डॉक्टर द्वारा सुरेश शरणागत को देखने पर सुरेश शरणागत को मृत होना बताया। सुरेश शरणागत को सिर, मुंह, आंख नाक के चोट आई थी। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 69/14 अन्तर्गत धारा 302 भा.दं.वि. के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचनापूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(04) उपापण पर उभयपक्षों को सुना गया ।

(05) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धारा में अनन्यतः माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाघाट

के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।

(06) आरोपी को धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गईं।

(07) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे।

(08) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति नायब नाजिर, बैहर की अभिरक्षा में होने से उक्त संपत्ति माननीय न्यायालय के समक्ष आगामी नियत तिथि के पूर्व प्रस्तुत करने हेतु नायब नाजिर, बैहर को निर्देशित किया गया।

(09) आरोपी उपजेल बैहर में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध होने से उसका कमीटल वारण्ट जारी कर माननीय सत्र न्यायालय बालाघाट के समक्ष दिनांक 08.09.2014 को पूर्वान्ह में ठीक 11:00 बजे उपस्थित रखने हेतु उपजेल बैहर को निर्देशित किया जाता है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

आदेश मेरे उद्बोधन पर
टंकित किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट